

न्यायालय नायब तहसीलदार, तहसील, सूरजगढ़, जिला झुंझुनूं  
पीठासीन अधिकारी :::: मांगेराम पूनियां(तहसीलदार)

मिसल नं. :::: 148 / 2021

सरकार बनाम श्रवण कुमार पुत्र दुलीचन्द, जाति- ब्राह्मण,  
निवासी- बिशनपुरा(काकोड़ा)

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत

निर्णय दिनांक : 06.09.2021

### निर्णय

पत्रावली पेश हुई। गैर सायल स्वयं अनुपस्थित। गैर सायल की ओर से उसका भाई राजेश उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण में संक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि गैर सायल श्रवण कुमार पुत्र दुलीचन्द, जाति- ब्राह्मण, निवासी-बिशनपुरा (काकोड़ा) द्वारा रोही मौजा बिशनपुरा (काकोड़ा) की भूमि ख.नं. 45 कुल रकबा 0.26 है० किस्म गै.मु. रास्ता में से रकबा 0.04 है० भूमि पर छड़ी एवं बाड़ लगाकर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत की गई। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायल को नोटिस जारी किया गया। गैर सायल की ओर से उसका भाई राजेश ने हाजिर अदालत होकर जवाब नोटिस पेश किया। जिसमें अपना कब्जा पुराना बताया है। अपने कब्जे के विधिक होने के समर्थन में अन्य कोई साक्ष्य/सबूत पेश नहीं किया। गैर सायल का जवाब संतोषप्रद नहीं माना जा सकता है। अतः रिपोर्ट पटवारी हल्का को सही मानते हुए गैर सायल को उपरोक्त विवादित भूमि का अतिचारी घोषित किया जाकर उसके विरुद्ध बेदखल करने के आदेश दिये जाते हैं। आर्थिक दण्ड स्वरूप सरह लगान का 50 गुणा तावान 10 रू. कायम किया जाता है।

तहसील राजस्व लेखाकार के अभिलेख में तावान राशि की कायमी करवाई जावे। पटवारी / गिरदावर हल्का को तावान वसूली एवं मौका बेदखली हेतु लिखा जावे। मिसल फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ़तर हो।

निर्णय आज दिनांक 06.09.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रा० ले० सं० ४ के वृष्ठ सं. 28  
दिनांक 2021-22 रुपये 10/- कायम किं  
राजस्थान सरकार

कि'  
(मांगेराम पूनियां)  
तहसीलदार, सूरजगढ़